हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

की

ऑडिट रिपोर्ट

अवधि

वर्ष 1988–89 एवं 1989–90

Scanned with CamScanner

(37)

(287)

... विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के लेखाओं पर सम्परीक्षा

... टिप्पणी :-

अवधि- 1988-89

... तिथि :-

गत सम्परीक्षा दिनांक ... को समाप्त हुयी थी, ... 1986-87 व 87-88 के लेखाओं के लिये थी। वर्तमान ... दिनांक 30-12-89 को आरम्भ होकर दिनांक 31-3-90 ... हुयी, तथा वर्ष 1988-89 के लेखाओं के लिये है।

प्रथम- भाग

... सम्परीक्षा टिप्पणी की समीक्षा :-

गत सम्परीक्षा टिप्पणी प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त ... हुयी थी। अतः उसकी समीक्षा आगामी अवसर के हेतु स्थगित ... गत सम्परीक्षा प्राधिकरण की प्रथम सम्परीक्षा थी, अस्तु ... प्राप्त होने पर अनिस्तारित आपत्तियों की परिपालन आख्या ... विचार करना अपेक्षित है।

द्वितीय- भाग

वर्तमान सम्परीक्षा

... प्रशासन :- आलोच्य वर्ष में ... श्री हरीश चन्द्र ... उपाध्यक्ष ... प्राधिकरण के ... पद पर आसीन रहे।

3- वित्तीय स्थिति :-

उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विकास प्राधिकरण की सकल प्राप्तियों एवं सकल भुगतान की स्थिति निम्नवत् संकलित की गयी थी:-

1 अप्रैल 88 को अथशेष	60,41,354=87
वर्ष की आय	56,56,742=20
योग:-	1,16,98,097=07
वर्ष का व्यय:-	47,96,162=14
31 मार्च 1989 को इतिशेष:-	69,01,934=93
31 मार्च 89 को लेजर के अनुसार	77,70,917=90
31 मार्च 89 को बैंक विवरण के अनुसार	83,64,253=58

इतिशेष का विवरण:-

	लेजर के अनुसार शेष	बैंक विवरणपत्र/पासबुक के अनुसार शेष
1-स्टेट बैंक हरिद्वार खाता संख्या 11137	1,36,145=00	1,36,145=00
2- पंजाब नेशनल बैंक हरिद्वार खाता संख्या 5738	16,09,102=79	16,93,535=02
3- पंजाब नेशनल बैंक, हरिद्वार खाता संख्या 5735	50,190=10	50,190=10
4-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया हरिद्वार/चालू खाता सं0 8000	14,10,506=81	19,19,410=26

(288)

(36)

(2/16)

...बैंक इंडिया, ...खाता संख्या	24,445=30	24,445=30
...ब नेशनल बैंक ऋषिकेश सं0 10579	13,065=00	13,065=00
...ब नेशनल बैंक, -"- खाता सं02175	3,12,562=90	3,12,562=90
...वध बैंकों में नियोजन	36,50,500=00	36,50,500=00
...0एल0ए0हरिद्वार ...खाता §	5,64,400=00	5,64,400=00
हस्तगत शेष	शून्य	शून्य
योग:-	77,70,917=90 §ख§	83,64,253=58 §ग§

...णी:- §1§ लेजर में योगादि पेन्सिल से लगाये गये थे तथा यह लिखित
-- अभिलेख सत्यापित न होने के कारण अनन्तिम थे, जिन्हें
...धिक कर प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है ।

§2§ गत वर्ष एवं आलोच्य वर्ष के मासिक एवं वार्षिक लेखे ...र नहीं किये गये थे । अतः उक्त स्थिति बाह्य संकलन के आधार ...तैयार किये जाने के फलस्वरूप अनन्तिम है । कृत कार्यवाही से अवगत ...या जाय एवं "क" तथा "ख" के मध्य अन्तर स्पष्ट किया जाय ।

§3§ प्रारम्भिक शेष गत सम्परीक्षा टिप्पणी के सत्यापनाधीन

§4§ नगर महापालिका/पालिका लेखा नियमावली के अनुसार ...कड़िया द्वारा रोकड़बही नहीं तैयार की गयी थी, जबकि सम्परीक्षा ... जाँच करने पर विदित हुआ कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के ...तनादि के भुगतान, भविष्य निर्वाह निधि , आवर्ती जमा§आर0डी0§

Scanned with CamScanner

आदि के चेक रोकड़िया के नाम निर्गत किये गये थे अतएव विवरण के उपरान्त दैनिक हस्तगत धनराशि का विवरण रोकड़िया की निर्धारित प्रपत्र पर बनायी गयी रोकड़बही में अंकित किया जाना अपेक्षित है।

§5§ क्रमांक §2§ पर अंकित पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 5738 का बैंक शेष रू0 84,432=23 का अन्तर स्पष्ट किया जाय ताकि "उ" व "ग" के मध्य अन्तर स्पष्ट किया जा सके। उल्लेखनीय था कि क्रमांक §4§ पर अंकित सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया खाता सं0 8000 में लेजर व बैंक शेष के मध्य रू0 5,08,903=45 का अन्तर बिना भुने चेकों के कारण था। इसे बैंक समाधान विवरणानुसार बनाकर स्पष्ट किया जाये।

§6§ उक्त इतिशेष के विवरण से स्पष्ट होगा कि प्राधिकरण द्वारा 7 बैंक खाते चलाये जा रहे थे जो उचित नहीं है। यूनियन बैंक आफ इंडिया खाता संख्या 9190 से दिनांक 20-11-87 को 2.5 लाख रूपया सुलभ शौचालय सम्बंधी भुगतान करने के उपरान्त यह खाता निष्क्रिय पड़ा था। इस पर दिनांक 4-6-88 से ब्याज नहीं लगवाया गया था। इसीप्रकार पंजाब नेशनल बैंक ऋषिकेश के खाता संख्या 10579 से भी दिनांक 11-1-89 को रू0 1.8 लाख क्रमांक 2 पर अंकित बैंक की हरिद्वार शाखा के खाता संख्या 5738 में स्थानान्तरित किया गया इसके बाद दिनांक 9-3-89 के बाद यह खाता भी निष्क्रिय था। उपयुक्त होगा कि इन खातों को ब्याज लगवाकर बन्द कर दिया जाय। भविष्य में नियंत्रण व सुविधा की दृष्टि से कम से कम बैंक खातों को रखे जाने का परामर्श दिया जाता है।

§7§ वर्षान्त 31 मार्च 1989 में विविध निर्माणों के लिए लिये गये अस्थाई अग्रिमों का रू0 5,27,495/- असमायोजित पड़ा था। इस पर नियंत्रण रखने हेतु अस्थाई अग्रिम पंजी न बनाया जाना आपत्तिजनक था। इस ओर ध्यान दिया जाय।

§8§ ...ों के भुगतानों पर पर्याप्त नियंत्रण रखे जाने हेतु ...विधि " की स्थापना न करना आपत्तिजनक था । इसकी ...सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित थी ।

§9§ ... लेखा पृथक रखा गया था जिसे आय-व्यय व ...में सम्मिलित करके दिखा गया है । परन्तु इसकी बैंक/पी0एल0 ...की पुष्टि पासबुक से नहीं करायी गयी । इसकी पुष्टि ...त है ।

§10§ आय-व्यय के अनुदानों एवं शुल्कों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" "ख" "ग" एवं "घ" में दिया गया है ।

...कद परिसम्पत्ति एवं दायित्व:-

31मार्च 1989 को नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व या ...लिए आंकडे तैयार नहीं किये गये थे । यह आपत्तिजनक था । ...क, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद ...रिपत्र सं0 संदर्भ-5/एक§34§ एवं/5781 दिनांक27-10-80 जो ... के समस्त विकास प्राधिकरणों को सम्बोधित था, के अनुसार ...क वर्षान्त में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तुलन-पत्र, लाभ-...न खाता, एवं नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण ...र किया जाना था । अतः इसका परिपालन प्राधिकरण स्तर पर ...श्चित किया जाय ।

राजकीय अनुदान :-

आलोच्यावधि में कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था । इसके ...था गत वर्ष का भी अप्रयुक्त शेष नहीं था । इसका विवरण संलग्न ...रिशिष्ट "ख" में दिया गया है ।

राजकीय ऋण:-

आलोच्य वर्ष में प्राप्त, प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त अनुदानों का ...वरण संलग्न परिशिष्ट "ग" में अभ्युक्तियों सहित दिया गया है ।

टिप्पणी :- धन के भुगतानादि हेतु "पोषक निधि" की स्थापना की जाय ।

7- सम्परीक्षा शुल्क :-

(1) वर्ष 1987-88 का सम्परीक्षा शुल्क रु0 14,390/- चालान संख्या 7 दिनांक 26 मार्च 1990 से स्टेट बैंक आफ इण्डिया हरिद्वार में जमा करा दिया गया था ।

(ii) वर्ष 1988-89 की सकल आय रु0 61,70,764=70 पै0 पर पहले रु0 19040=00 का सम्परीक्षा शुल्क ड्राफ्ट दिनांक 26-3-1990 को निर्गत किया गया था । दिनांक 31 मार्च, 1990 के सहायक निदेशक/जि0स0अ0 सहारनपुर के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में विविध योजनाओं का पंजीकरण शुल्क का वापसी वाला धन व अन्य विभागों को प्राधिकरण के माध्यम से स्थानान्तरित धन को घटाने के बाद वर्ष 1988-89 की शुद्ध आय रुपये 56,56,742=20 पै0 को आधार माना गया । इसी समय वर्ष 1987-88 की आडिट फीस जो अधिक आय पर आरोपित बतायी गयी, का प्रकरण उठाया गया । जिसका समायोजन उनके मौखिक आदेशानुसार इसी वर्ष की आय में किया गया । वर्ष 1987-88 में आय गंगा प्रदूषण योजना तथा विविध योजनाओं के रजिस्ट्रेशन हेतु वापस की गयीथी, वह रु0 20,46,000 थी । इसे भी वर्ष 1988-89 की शुद्ध आय से घटाकर अवशिष्ट शुद्ध आय रु0 36,10,742=20 पर शासनादेश 21 जून 1978 की दरों के अनुरूप सम्परीक्षा शुल्क आरोपित किया गया । इस आय पर रुपये 11,360/- सम्परीक्षा शुल्क आरोपित किया गया और इसी धनराशि का समायोजन संशोधित संपरीक्षा शुल्क ड्राफ्ट दो पर्णों में दिनांक 31-3-1990 को निर्गत कर दिया गया और पूर्व निर्गत दो पर्णीय ड्राफ्ट बैंक रु0 19040=00 को प्राधिकरण से वापस प्राप्त कर लिया गया है । इस समायोजन की गणना के पश्चात् प्राधिकरण पर अब वर्ष

§ 7 §

88 व 1988-89 का §संशोधन के पश्चात§ क्रमशः रूपये
0 व रू0 11,360/= कुल रू0 32,200 बकाया था जिसे
त शीर्षान्तर्गत चालान संख्या 7 तथा 63 क्रमशः दिनांक
1989 तथा 17-4-1990 द्वारा जमा करा दिया गया है ।

नियोजन :-

विनियोजन पंजी के अनुसार आलोच्य वर्ष में रू0 36,50,000 सावधि जमा पत्रों में विनियोजित किये गये थे जिनका परिशिष्ट "घ" में दिया गया है ।

ी: §1§ परिशिष्ट "घ में अंकित विनियोजन भुनाकर पुर्न-विनियोजित कर लिये गये थे, अस्तु विनियोजन पंजी म्बन्धित विनियोजन के समक्ष अभ्युक्ति के स्तम्भ में भुनाने के ब्याज सहित रोकड़बही में जमा करने, ब्याज सहित पुर्न-योजित करने अथवा केवल मूलधन को विनियोजित करते हुये को रोकड़बही में जमा करने §यथास्थिति § आदि सन्दर्भ अंकित जाना अपेक्षित है ।

§2§ आलोच्य वर्ष से पूर्व किये गये विनियोजन, उनको तथा ब्याज आदि की समुचित जाँच गत सम्परीक्षा टिप्पणी के में न हो सकी । इसका सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है ।

§3§ विनियोजन पंजी के अनुसार गत वर्षों के जो विनियोजन गये थे, उनसे प्राप्त ब्याज को ही रोकड़बही मे दर्शाया गया था परिपक्वता मूल्य §मैच्यूरीटी वैल्यू§ को रोकडबही में दर्शाते र्न विनियोजन से सम्बन्धित संक्रमण प्रविष्टि§क्रास एन्ट्री§ की जानी हिये थी । भविष्य में अनुपालन किया जाय ।

§4§ अधिकांश विनियोजन 6 माह की अल्पकालिक अवधि करने के उपरान्त पुर्न-विनियोजन की प्रक्रिया अपनायी जा रही थी धकरण के आर्थिक हित में दीर्घकालीन योजना में धनराशि का नियोजन किया जाना चाहिये ।

9- अस्थायी एवं स्थायी अग्रिम :-

§1§ अस्थायी अग्रिम हेतु निर्धारित प्रपत्र पर पंजिका नहीं बतायी गयी थी , जिसके फलस्वरूप प्रदत्त अस्थायी अग्रिम, उद्देश्य, समायोजन की समुचित जानकारी न हो सकी । कार्यवाही कैशियर के लेजर के अनुसार मै० एसोसिएट सीमेण्ट कं० कानपुर तथा इसी फर्म की सहारनपुर उप्प पर क्रमशः रू0 2,24,700/-, रू0 2,73,795/- एवं श्री हंसराज यादव सहायक अभियन्ता पर रू0 23,000/- कुल रू0 5,21,595/- वर्षान्त में असमायोजित था ।

§2§ प्राधिकरण के किस अधिकारी के पास कितनी धनराशि स्थायी अग्रिम के रूप में रहती थी , स्थायी अग्रिम पंजी तथा अन्य अभिलेखों से स्पष्ट किया जाय तथा इसे माह/वर्ष के इतिशेष विवरण न दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय ।

10- मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी अनियमिततायें :-

§1§ अनर्ह व्यक्तियों द्वारा तैयार मानचित्र को स्वीकृति प्रदान किया:

ले-आउट प्लान/23/88-89 , जो सत्यबिहार कालोनी §भूपतवाला§ हरिद्वार से सम्बन्धित था, से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में विदित हुआ कि इस कालोनी का कुल प्लाट एरिया 48,186=50 वर्ग मी0 §लगभग 5,18,486•74 वर्ग फीट§ था तथा इसका नियोजन मानचित्र श्री कुँवर भान ड्राफ्टमैन द्वारा तैयार किया गया था , जबकि कन्ट्रोलिंग अथार्टी आफ रेगुलेटिड एरिया द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुसार 3000 वर्ग फुट तक के क्षेत्रफल के प्लाट पर भवनों का डिजायन-प्लान बनाने के लिये ही पंजीयत ड्राफ्टमैन अधिकृत थे तथा इस नियोजन मानचित्र का प्लान अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किया जाना चाहिए था । इस प्रकार सहायक नगर नियोजक एवं सहायक अभियन्ता द्वारा, जो मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी थे, इस मानचित्र की दी गयी स्वीकृति अनियमित एवं आपत्तिजनक थी। इसी प्रकार अन्य कोलोनियों के मानचित्र को स्वीकृत किये जाने

(33)

2/18

(291)

...मों में शिथिलता बरता जाना सम्भावित था । जो उचित
था। कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाय ।

...रित मानचित्रों के अनुरूप विनिर्माणों की पूर्णता की जाँच
...ये जाने से अनियमित/अवैध निर्माण की आशंका रहना :-

उ0प्र0 नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा
... अन्तर्गत शर्त नं0 6 के अनुपालन में भवन स्वामी को निर्माण
पूर्ण हो जाने के उपरान्त गृह में प्रवेश से पूर्व इस आशय की
...ा दी जानी थी, जिससे अवैध निर्माणों की जाँच हो सके, परन्तु
...धकरण द्वारा उक्त नियमों का पालन न कराये जाने से अवैध
...र्णि की पर्याप्त आशंका थी अस्तु उक्त अनियमितता पर पूर्ण
...क्षण रखने हेतु अवर अभियन्ताओं द्वारा क्षेत्रवार मानचित्र पंजियाँ
...क्षित करते हुये समय-2 पर नियमित निरीक्षण किया जाना
... अपनी आख्या उच्च अधिकारी वर्ग को प्रस्तुत करते रहना
...क्षित है । यदि विधिवत जाँच करायी जाय तो सम्परीक्षा के
...ान से शमन शुल्क के रूप में प्राधिकरण को भारी आय हो सकती

... अनधिकृत व्यक्ति को भवन स्वामी मानते हुये प्राधिकरण द्वारा
...नचित्र की स्वीकृति दिया जाना :-

श्री बूल चन्द्र पुत्र श्री भगवान चन्द्र मोह0 कुम्हार गढ़ा
...पुरा (कनखल) के भवन मानचित्र स्वीकृति पत्रावली की जाँच में
...दित हुआ कि रसीद सं0 2409/25 दिनांक 9-5-88 द्वारा रू0
...2/- जमा करते हुये उक्त द्वारा कुल 109•68 व0मी0 प्लाट एरिया
...ा मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अवर
...अभियन्ता तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा अंकित 5 आपत्तियों

में एक आपत्ति यह भी थी कि "स्थल का भू-स्वामित्त्व देय होगा, जिसके उत्तर में प्रस्तुत कर्ता द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि यह भूमि मलिन बस्ती में है तथा इस पर वर्तमान §एक्जिस्टिंग§ निर्माण काफी पुराना व कच्चा है, जिसे उसने वर्ष 1956 में क्रय किया था, परन्तु दिनांक 31-8-88 को प्रस्तुत शपथ पत्र के पैरा 2 में यह उल्लेख किया गया था कि उसके पास भू स्वामित्त्व का कोई अभिलेख नहीं है। रू0 1/- के राजस्व टिकट पर दिनांक 11-5-56 को एक बिक्रीपत्र श्री चिरमानन्द नामक एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया था, कि "मलवा एक घर जो कच्चा बना हुआ स्थित है जिसके मलवे का मैं स्वामी हूँ। अत: यह रसीद मलवा बेचने की लिख दी जो प्रमाण है", रू060/- में बेचने का उल्लेख था। इससे स्पष्ट था कि श्री बूलचन्द्र के पास भूमि का स्वामीत्त्व नहीं था तथा मलवा खरीदने से भूमि का स्वामीत्व नहीं मिल सकता। उल्लेखनीय है कि भूमि के स्वामीत्त्व के सम्बन्ध में नगरपालिका का कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी नहीं लिया गया था। अत: सचिव द्वारा दिनांक 3-1-89 को पारित मानचित्र अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

11- शमन शुल्क के आगणन में अवैध निर्माण स्थल का ब्लूप्रिंट न प्रस्तुत कराया जाना :-

---

शमन शुल्क से सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच में विदित हुआ कि अवर अभियन्ता/सहायक नगर नियोजक द्वारा स्थल का नजरी सर्वेक्षण कर अवैध निर्माण के बजाय परिवर्तन आदि का खाका तैयार कर शमन शुल्क का निर्धारण किया गया था, जबकि अवैध निर्माण स्थल का ब्लू प्रिंट, प्राप्त किया जाना चाहिये था। इस प्रकार खाका §स्केच§ तैयार करने से स्थल का वास्तविक स्थान, क्षेत्रफल, भवन की मानक ऊँचाई, जल संयोजन/मल निष्कासन, हवादार होने आदि की स्थिति का समुचित ज्ञान होना असम्भव था। ऐसी स्थिति में अवैध

र शमन शुल्क निर्धारण में वह समस्त कार्यवाही पूर्ण नहीं की
ीं, जो एक मूल मानचित्र को पारित किये जाने हेतु अपेक्षित

उल्लेखनीय है कि विकास प्राधिकरण के कार्य रूप में
पूर्व नियत प्राधिकारी/आर0एम0 विनियमित क्षेत्र हरिद्वार
निर्माण सम्बन्धी मानचित्रों का पारण अनियमित निर्माण के
नहीं किया जाता था, बल्कि पूर्व पारित मानचित्र के
त/अवैध निर्माण को विनियमित कर दिया जाता था । यथा:-

पत्रावली सं0 म0 दो-3§ख§नो0/हरि0/402/87 जो सर्व
किशोर जुगल किशोर, डा0 देवी सहाय, रामाधार के कुल
रिया 6419 वर्ग फुट अर्थात् 597 वर्ग मी0 पर रु0 5/- प्रति
ी0 की दर से रु0 2985/- शमन शुल्क वसूला गया था तथा
ीकृत मानचित्र में परिवर्तन किये गये थे ।

ाइसेंस निर्गमन में अनियमिततायें :-

0एस0आर0 बिल्डर्स को "ए" श्रेणी ठेकेदार का लाइसेंस निर्गमन
ावश्यकतायें पूर्ण न कराना :-

उक्त लाइसेंस के लिये फर्म के प्रोपराइटर का एम0टेक0
ग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना वर्ष 1987-88 में रसीद
44/47 दिनांक 7-12-87 द्वारा रु0 2000/- जमा कराकर
निर्गत कर दिया गया था जिसे इन्होनें रसीद सं0 2407/25
9-5-88 द्वारा रु0 500/- जमा कर नवीनीकरण कराया था ।
ार लाइसेंस की शर्त नं0 1 का स्पष्ट उल्लंघन था तथा वर्ष
-90 तक इसीप्रकार प्रभावी रखा जाना आपत्तिजनक था ।

(ख) श्री के० के० मेहता एण्ड कं० को बी श्रेणी ठेकेदार लाइसेंस निर्गम में अनियमिततायें :-

उक्त फर्म से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में ज्ञात हुआ कि इन्हें "बी श्रेणी" ठेकेदार का लाइसेंस बिना एम० टेक० योग्यता प्रमाण पत्र, स्थायी अभियन्ता की नियुक्ति छोड़, उपयुक्त चरित्र प्रमाणपत्र प्राप्त किये रसीद सं० 1705/18 दिनांक 16-1-88 द्वारा रू० 1500/- प्राप्त कर वर्ष 1987-88 हेतु निर्गत किया गया था। चरित्र प्रमाणपत्र जिलाधिकारी सहारनपुर का दिनांक 31-5-86 का था, जो कालातीत हो चुका था। दिनांक 16-1-88 को सचिव की आख्या में यह उल्लेख किया गया था कि इनके द्वारा सभी औपचारिकतायें पूर्व में पूरी करा ली गयी है, अतः अन्तिम रूप से पंजीकरण करने हेतु टेण्डर की सफलता की दृष्टि से आदेश दिये जाते हैं। उल्लेखनीय है वर्ष 1988-89 में औपचारिकतायें पूर्ण कराये बिना लाइसेंस का नवीनीकरण भी किया गया था। अतः प्राविजनल से स्थायी लाइसेंस नवीनीकरण द्वारा जारी करना अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

(ग) श्री रूद्रमणि-कीर्तिपाल ठेकेदार, ज्वालापुर के "डी श्रेणी" के लाइसेंस के नवीनीकरण में रू० 375/- की सम्भावित क्षति :-

उक्त फर्म को रसीद सं० 1929/20 दिनांक 20-2-88 द्वारा प्राप्त पंजीकरण शुल्क रू० 500/- के आधार पर वर्ष 1987-88 हेतु "डी श्रेणी" लाइसेंस निर्गत किया गया था जो 31-3-88 तक मान्य था तथा इसका नवीनीकरण अप्रैल 88 तक करा लिया जाना चाहिये था। अन्यथा स्थिति में नोटिस देकर इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाना चाहिये था, परन्तु सचिव के आदेश दिनांक 25-4-88 के फलस्वरूप रसीद सं० 2742/28 दिनांक 27-7-88 द्वारा मात्र रू० 125/ जमा

(31) (243) 2/11

§ 1988-89 हेतु लाइसेंस का नवीनीकरण शुल्क जमा कराया
ा, जो उचित नही था । नियमानुसार इस लाइसेंस को नया
हुये रु0 500/- जमा कराया जाना चाहिये था । इस प्रकार
5/- की क्षति की सम्भावना थी । उल्लेखनीय है कि वर्ष
90 हेतु लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में सचिव की आख्या
20-1-89 के अनुसार उक्त लाइसेंस निरस्त योग्य था अस्तु
की कार्यवाही अपेक्षित है ।

ोदामकिराये का अधिक भुगतान §रु0 33=36§ :-

ऋषिकेश स्थित सीमेण्ट गोदाम का वर्ष 88-89 §12माह§ का
ा श्री आर0 लाखन को चैक सं0 634690 दिनांक 28-5-88
रु0 2•17 प्रति वर्ग मी0 की दर से 556 वर्ग0 मी0 का रु0
=52 प्रतिमाह आगणित कर कुल रु0 14478=24 के विरुद्ध
4511=60 भुगतान किया गया था । इस प्रकार रु0 33=36
भुगतान की सम्बन्धित से प्रतिपूर्ति अपेक्षित है ।
किराया पत्रावली की जाँच में निम्न अनियमिततायें दृष्टिगत
-
रु0 2=17 प्रति वर्गमी0 की दरे जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित
ी ।
पत्रावली पर अंकित मुख्य लेखाधिकारी की टिप्पणी के अनुसार
ा कारपेट एरिया तथा प्लींथ एरिया में काफी अन्तर था तथा
विक एरिया किराया भुगतान किये जाने से पूर्व तथा गोदाम
तक नहीं निकाला गया था । अस्तु मुख्य लेखाधिकारी द्वारा
त्त उठाने पर भी भुगतान किये जाने के औचित्य तथा उक्त
त्त के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में सम्परीक्षा को अवगत
कराया गया । कार्यवाही अपेक्षित है ।

14- वाहन प्रयोग सम्बन्धी अनियमिततायें :-

॥क॥ वाहन सं0 यू0जी0 एक्स0 4533 ॥जिप्सी॥ का सम्भावित दुरुपयोग :-

उक्त वाहन की आलोच्य माह की लागबुक की जाँच में ज्ञात हुआ कि सचिव को प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल में प्रशिक्षण हेतु दिनांक 11 जून 88 को गाड़ी छोड़कर दिनांक 13-6-88 को खाली वापसी आयी थी तथा पुनः 18 जून 88 को हरिद्वार से खाली जाकर दिनांक 19 जून 88 को सचिव को वापस लेकर आयी थी । इन दोनों यात्राओं में गाड़ी क्रमशः 670 तथा 618 कि0मी0 चली थी ।

उक्त प्रकरण में जहाँ शासनादेश सं0 932॥दस॥ सं0वि0-3॥11॥/87 दिनांक 12-4-88, वित्त संसाधन ॥विविध॥ अनुभाग के प्रस्तर-1 की उपेक्षा कर मितव्ययता नहीं बरती गयी थी, वहीं दूसरी ओर शासकीय वाहन के उपभोग सम्बन्धी शासनादेश सं0 2400-दस/सं0 वि-79 दिनांक 20-7-79 के उल्लंघन का भी उदाहरण था, जिसमें रेल व बस से सम्बद्ध स्थानों की यात्रा में स्टाफ कार का प्रयोग निषिद्ध था, तथा पर्वतीय क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबन्ध था । इस प्रकार अनुमन्य रेल/बस किराये तथा गाड़ी पर ईंधन के खपत के अन्तर की धनराशि की प्रतिपूर्ति कराया जाना उचित होगा ।

टिप्पणी:- दिनांक 17 जून 88 को उक्त वाहन द्वारा उपाध्यक्ष को गाड़ी दिल्ली छोड़ने हेतु गयी थी तथा वापस आने तक 515 कि0मी0 चली थी । यात्रा के प्रयोजन में उन्हें हैदराबाद ट्रेनिंग में जाने हेतु दिल्ली जाना दर्शाया गया था, जिसका औचित्य अस्पष्ट था ।

(15)

…वाहन की जांच में विदित हुआ कि 2 मई88 को मीटर …32867 कि0मी0 के पश्चात् पृष्ठ सं0 7 खाली था ।तथा पृष्ठ …रम्भिक मीटर रीडिंग 33009 कि0मी0 दर्ज थी । अस्तु इस …142 कि0मी0वाहन का प्रयोग किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा …या था, अस्पष्ट था । लागबुक को रिक्त रखा जाना संदिग्ध …होता था ।

…दिनांक 19-5-88 से 31-5-88 तक की यात्रायें किन स्थानों …गयी थी तथा किस उद्देश्य से की गयी थी, अस्पष्ट था । इन …के समक्ष लागबुक में ए0टी0पी0 व ए0टी0पी0/जे0ई0 अंकित था …विवरण व हस्ताक्षरों का अभाव था । मीटर वाचन के अनुसार …कि0मी0 (33308-33186) वाहन चला था जिसकी यात्रायें …मानतेहुये नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

…सम्परीक्षित व्यय :-

…प सम्परीक्षा माहों से सम्बन्धित निम्न व्यय प्रमाणकों से …न्धित व्यय पत्र , पत्रावलियां आदि बार-बार मांगने पर भी …न किया जाना आपत्तिजनक था । अधिकांश व्यय विज्ञापन …सम्बन्धित थे । सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सम्परीक्षा को …किये जाने के सम्बन्ध में उसके प्रति की गयी कार्यवाही से भी …कराया जाय ।

…का विवरण	रोकडवही के अनुसार भुगतान तिथि	चैक संख्या	धनराशि
…दैनिक बद्रीविशाल …को विज्ञापन हेतु	24-5-88	054993	429=00
…दैनिक "दून दर्पण" को …निविदा विज्ञापन हेतु	- -"- -	054994	450=00

14- वाहन प्रयोग सम्बन्धी अनियमिततायें :-

(क) वाहन सं० यू०जी० एक्स० 4533 (जिप्सी) का सम्भावित दुरुपयोग :-

उक्त वाहन की आलोच्य माह की लागबुक की जांच में ज्ञात हुआ कि सचिव को प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल में प्रशिक्षण हेतु दिनांक 11 जून 88 को गाड़ी छोड़कर दिनांक 13-6-88 को खाली वापसी आयी थी तथा पुनः 18 जून 88 को हरिद्वार से खाली जाकर दिनांक 19 जून 88 को सचिव को वापस लेकर आयी थी। इन दोनों यात्राओं में गाड़ी क्रमशः 670 तथा 618 कि०मी० चली थी।

उक्त प्रकरण में जहाँ शासनादेश सं० 932(दस) सं०वि०-3(11)/87 दिनांक 12-4-88, वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के प्रस्तर-1 की उपेक्षा कर मितव्ययता नहीं बरती गयी थी, वहीं दूसरी ओर शासकीय वाहन के उपभोग सम्बन्धी शासनादेश सं० 2400-दस/सं० वि-79 दिनांक 20-7-79 के उल्लंघन का भी उदाहरण था, जिसमें रेल व बस से सम्बद्ध स्थानों की यात्रा में स्टाफ कार का प्रयोग निषिद्ध था तथा पर्वतीय क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबन्ध था। इस प्रकार अनुमन्य रेल/बस किराये तथा गाड़ी पर ईंधन के खपत के अन्तर की धनराशि की प्रतिपूर्ति कराया जाना उचित होगा।

टिप्पणी:- दिनांक 17 जून 88 को उक्त वाहन द्वारा उपाध्यक्ष को गाड़ी दिल्ली छोड़ने हेतु गयी थी तथा वापस आने तक 515 कि०मी० चली थी। यात्रा के प्रयोजन में उन्हें हैदराबाद ट्रैनिंग में जाने हेतु दिल्ली जाना दर्शाया गया था, जिसका औचित्य अस्पष्ट था।

3- दैनिक बद्रीविशाल" को विज्ञापन हेतु	30-5-88	034903	351=00
4- "स्वतन्त्रभारत" को विज्ञापन हेतु	---"---	034904	2,250=00
5- "अमृत प्रभात को विज्ञापन हेतु	---"---	034905	365=00
6- "पंजाब केसरी" को विज्ञापन हेतु	---"---	034906	4,050=00
7- "उत्तराखण्ड वाणी" को ।	9-6-88	034929	264=60
8- लोकार्थ साप्ताहिक को	---"----	034930	351=00
9- "इन दर्पण	---"---	034931	450=00
10- श्री घनश्यामचन्द्र को सेवा पुस्तिकाओं के क्रय हेतु	22-6-88	034934	150=00

टिप्पणी:- जनसत्ता §13-4-88§ विश्व मानव§हिन्दी§, उ0प्र0 सिविल सेवा संघ लखनऊ, दैनिक बद्रीविशाल, दैनिक दर्पण को क्रमशः रू0 2000/- 800/-, 1000/- 429/-, 450/- का भुगतान क्रमशः 2-5-88, 25-5-88, 24-6-88 §अन्तिम तीन§ को किये गये थे, परन्तु न तो सम्बन्धित की प्राप्ति रसीद थी और न विज्ञापित सामग्री का अंश आदि ही था । अस्तु उक्त भुगतान प्राधिकरण के हित में नहीं प्रतीत होते थे अभिलेखों से किये गये व्ययों का औचित्य स्पष्ट किया जाय ।

16- कृषि आवासीय योजना §63अल्प आय वर्गीय भवनों का निर्माण§ रू0 9,76,545 प्रथम चालू बिल रू0 88,985=96 :-

AE

उक्त भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पायी गयी निम्नांकित अनियमितताओं/आपत्तियों का निराकरण अपेक्षित है ।

Scanned with CamScanner

2/9

कार्य से सम्बन्धित ठेकेदार मै0 ए0 बन0 कन्ट्रक्शन कम्पनी
दिनांक 18-4-88 द्वारा यह अवगत कराया गया था कि
मद सं0 3 में अंकित आइटम §एम-150ब्रिक वर्क 1:3 सफेद
सुर्खी § के बजाय नींव में 1:6 का सीमेंट व गंगा बालू का
दरों अर्थात् रू0 375/- प्रति घन मी0 पर ही किया जायेगा
सहायक अभियन्ता ने ठेकेदारद्वारा निम्न कोटि की सुर्खी प्रयोग
रिपोर्ट की थी । उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति सचिव ने अपने
दिनांक20-4-88 द्वारा दे दी थी । इस प्रकार पी0 डब्लू डी
आइटम नं0 302 §बी§ की दरों पर ही पी0 डब्लू0डी .
का कार्य करने को सहमत हो गया था । जिसमें निम्न
पायी थी :-
अनुबन्ध की शर्त के अनुसार प्राधिकरण ठेकेदार को निर्धारित
स्पेसिफिकेशन हेतु अनुमन्य सीमेण्ट की आपूर्ति निर्धारित दरों पर
को बाध्य थी, परन्तु स्पेसिफिकेशन के परिवर्तन के फलस्वरूप
अतिरिक्त लगने वाली सीमेण्ट की व्यवस्था प्राधिकरण को बाजार
रेट क्रय करके करनी पड़ी थी । इस प्रकार न तो प्राधिकरण
निम्न निर्माण सामग्री को स्वीकृत कर सकता था और न इस मद
लगने वाले अतिरिक्त सीमेण्ट की आपूर्ति हेतु ही बाध्य था ।
ठेकेदार को स्पेशिफिकेशन परिवर्तन की स्वीकृति के साथ यह
स्पष्ट कर देनी चाहिये थी, जो नहीं की गयी अतः प्राधिकरण
हानि पहुंचानी सम्भावित थी ।
प्रथम रनिंग बिल की जांच में ज्ञात हुआ कि इसमें 49 घ0मी0
कंक्रीट तथा 169 घ0मी0 ब्रिक वर्क नींव में हुआ था जिस पर
+ 212.9 कुल 352 बैग §लगभग§ सीमेण्ट प्रयुक्त होना चाहिये
जबकि ठेकेदार को 300 बैग सीमेण्ट का निर्गमन किया गया था
ठेकेदार द्वारा कम सीमेण्ट मांग किये जाने का क्या आधार था
अवर अभियंता द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी क्यों नहीं

Scanned with CamScanner

की गयी ।

अस्तु नींव के अन्दर प्रयुक्त आईटम में परिवर्तन, मार्ग के कम सीमेन्ट का मिश्रण, ठेकेदार द्वारा कम दर पर ही कार्य करने को सहमत हो जाना स्थिति को संदिग्ध बनाते है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री के प्रयुक्त अनुपात में मानक (1:6) का ध्यान नहीं रखा गया था । अवर अभियन्ता द्वारा टेस्ट तथा माप पुस्तिका पर इस आशय का प्रमाण-पत्र भी नहीं अंकित था ।

(ख) सहायक अभियन्ता की आख्या दिनांक 18-4-88 के अनुसार भवनों के पुनरनुमान में किये प्राविधानों के बाद दरवाजों, खिड़कियों की चौखटों, पल्लों, लैट्रीन व बाथरूम की छत डालने का प्राविधान बाद में करने से प्रति भवन रू0 3640/- अर्थात् अनुमान में रूपये 2,29,320/- की वृद्धि हो गयी थी । इसप्रकार योजना व्यय में 23 1/2 प्रतिशत वृद्धि होने की स्थिति में इसका सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाय ।

(ग) टेण्डर के आइटम नं0 2 (सी0सी0फर्श) में ठेकेदार ने अपने पत्र दिनांक 13-4-88 द्वारा ब्रिक बेलास्ट के बजाय पत्थर की रोड़ी प्रयोग करने की बात लिखी थी, परन्तु ठेकेदार को सहायक अभियन्ता ने अपने पत्रांक 1750/अभि-1-(क)-4-87 दिनांक 3-5-88 द्वारा रू0 77/- प्रति घ0 मी0 की दर से कृषि लोक आवासीय योजना की बाउन्ड्री वाल की डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त मलवा प्रयुक्त करने के आदेश दिये थे । जिसकी कटौती प्रथम रनिंग बिल के बजाय द्वितीय रनिंग बिल से (104.3 घ0मी0 सामग्री का मूल्य) रू0 8031=10 की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 3-5-88 द्वारा उक्त मलवा ब्रिक बैट्स की शेड्यूल दरों पर 10% जोड़कर ठेकेदार को

(28) 296

2/8

...ा जाना था । अतः तत्कालीन लागू शेड्यूल दर रू० 80/-
...० में 10% जोड़कर रू० 88/- प्रति घ०मी० में की दर से
...ी जानी थी । अस्तु 11/- प्रति घ०मी० की दर से
...=30 § 104·3×11 § की क्षति पहुँचायी गयी थी, जिसका
... समायोजन अपेक्षित है ।

...अनुमान के आइटम नं० 11 में 0.578 क्विंटल प्रति भवन की
...8·414 क्विंटल के बजाय 26 क्विंटल माइल्ड स्टील का प्रयोग
...की निर्माण सामग्री यथा - दरवाजों व खिड़कियों में
...15 कि० मी० के बजाज 33×33×3 मि०मी० के एंगिल आदि
...की गयी थी । इस प्रकार अन्य आइटमों में वृद्धि तथा गुणवता
...कर अनुमान से वास्तविक व्यय को रोकने का प्रयास किया
...ा । इसका औचित्य स्पष्ट न था ।

...िष लोक आवासीय योजनान्तर्गत 38/40 एम०आई० जी०
...आवासों का निर्माण रू० 17,42,300 §प्रथम चालू बिल रूपये
...1,278=57 § :-

उक्त योजना केअन्तर्गत कार्य की पत्रावली को देखने से
... में आयी निम्नांकित अनियमितताओं/त्रुटियों का परिपालन
...त है :-

...उक्त निर्माण कार्य का टेण्डर मैं० के० के० मेहता को टेण्डर रेट से
... उच्च दर पर दिनांक 24 अप्रैल 88 को दिया गया था तथा टेण्डर
...र्त के अनुसार कार्य 6 माह तक पूर्ण किया जाना था । दिनांक
...88 को ठेकेदार द्वारा सीमेण्ट की माँग करते हुये साइट पर लो
...टेंशन विद्युत तारों से निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न होने से
... हटाने की माँग की थी ।

उक्त तारों को हटवाने हेतु विद्युत विभाग से पत्राचार करने के उपरान्त रू0 16,410=10 का अतिरिक्त भुगतान दिनांक 11-1-89 को विद्युत विभाग को किया गया था । इस बीच ठेकेदार को 14-7-88 को समय वृद्धि अज्ञात अवधि हेतु अतिवृष्टि एवं पानी का कनेक्शन देर से मिलने के कारण दिनांक 28-2-89 तथा अन्तिम समय वृद्धि 30-6-89 तक के लिये दी गयी थी ।

इस प्रकार अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता आदि तकनीकी अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग द्वारा स्थल का समुचित सर्वेक्षण करने में इस विद्युत लाइन का कोई ध्यान न रखे जाने से कार्य में अनावश्यक विलम्ब हुआ तथा अनुमान के अतिरिक्त मद में भुगतान करना पड़ा ।

(ख) सम्परीक्षा में अनुबन्ध पत्र अप्रस्तुत रहने से सामान्य शर्तों, शर्तें के उल्लंघन की स्थिति में दण्ड आदि के प्राविधानों का ज्ञान न हो सका ।

(ग) ठेकेदार द्वारा नींव में 1:3 चूना व सुर्खी के बजाय 1:6 के अनुपात में सीमेण्ट बालू प्रयोग की गयी थी, जिसमें प्राधिकरण को कोई हानि न दर्शाते हुये सहायक अभियन्ता द्वारा ठेकेदार के पक्ष में सचिव से दिनांक 6-6-88 में स्वीकृति प्राप्त की गई थी जिसके लिये अतिरिक्त सीमेण्ट की आपूर्ति प्राधिकरण द्वारा बाजार की अधिक दरों पर सीमेण्ट क्रय कर ठेकेदार को पूर्व निर्धारित दरों पर की गयी थी ।

(घ) मापन कार्य की जाँच में ज्ञात हुआ कि प्रथम चालू बिल का रुपये 71,278=57 भुगतान दिनांक 24-6-88 को किया गया था जिसमें आईटम नं0 2 में सीमेण्ट कन्क्रीट कार्य में (74घ0मी0) में 2·83 बैग की दर से 209·42 बैग सीमेण्ट तथा आईटम नं0 3 एम-50 प्रथम श्रेणी ब्रिक वर्क (1:6 सीमेण्ट बालू के 169 घ0मी0 कार्य में 1·26 बैग प्रति घ0 मी0 की दर से 212·94 कुल 422·36 बैग

...क होना था। जबकि ठेकेदार को 200 बैग सीमेण्ट ही
...या गया था । इस प्रकार मानक से कम सीमेण्ट खपत का
...त्य था । अवर अभियन्ता द्वारा कार्य को मानक के अनुसार
... तथा सन्तोषजनक होने का प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया
... के निम्न स्तर के होने की स्थिति में नियमानुसार कटौती
...ती ।

... से विदित हुआ कि दिनांक 12-12-88 को सहायक
... द्वारा अपने स्तर से ही ठेकेदार को 38 के बजाय 40 आवासों
...ण करने हेतु निदेश दिया गया था, जिस पर सचिव ने उनका
...ण मांगा था, परन्तु सहायक अभियन्ता द्वारा अधिकारों की
... उल्लंघन करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की
...त हुयी । इस प्रकार इन अतिरिक्त भवनों के बनने से
... साइट प्लान, बजट अनुमान आदि के नहीं बनाये गये थे ।
... द्वारा दिनांक 26-4-89 को, जबकि कई भुगतान हो चुके थे,
...त अनुबन्ध करने के आदेश पारित किये गये थे, जो सम्परीक्षा में
...तुत किया गया । इस प्रकार सहायक अभियन्ता की आख्या
...8-3-80 के अनुसार योजना की लागत 18,08,228/- से बढ़कर
...398/- हो गयी थी ।
...र्य की अद्यावधिक स्थिति की जानकारी हेतु पत्रावली की जांच
... ज्ञात हुआ कि रू० 9,40,149=42 का भुगतान किया जा चुका
... कुल लागत का 49% था, तथा विद्युत लाइन हटवाये जाने के
...न भी ठेकेदार द्वारा 17-11-89 तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया
... तथा ठेकेदार द्वारा पूर्व स्वीकृत दरें पुरानी (वर्ष 1986) की
...ते हुये ऋषिकेश में लागू नवीन शेड्यूल दरों पर कार्य स्वीकृत करने
...ग की थी, जो पूर्व दरों से 31.68% अधिक थी । इस प्रकार कार्य
...•78 (31•68 - 6•9) प्रतिशत अधिक अर्थात् रू० 4,71,662=02

अधिक व्यय होने से प्रति भवन रू0 28,000/= अधिक व्यय आने का अनुमान था। उक्त के सम्बन्ध में मुख्य लेखाधिकारी ने यह मत व्यक्त किया था कि 20 भवनों पर ठेकेदार पर दण्ड आरोपित किया जाय तथा शेष 20 भवनों हेतु पुनः निष्पक्ष टेण्डर मांगे जायें।

कुल मिलाकर तकनीकी स्टाफ द्वारा विवेक का प्रयोग न करने से प्राधिकरण को भारी हानि पहुँची थी।

18- सीमेण्ट क्रय में अनियमिततायें :-

(क) ठेकेदारों को नान लेवी सीमेण्ट की आपूर्ति किये जानेफलस्वरूप आर्थिक क्षति (रू0 24,450)

सीमेण्ट पत्रावली की जाँच में विदित हुआ कि टेण्डर के नार्म्स में परिवर्तन किये जाने से ठेकेदारों द्वारा अतिरिक्त सीमेण्ट की मांग की गयी थी तथा लेवी सीमेण्ट इस समय उपलब्ध न होने की स्थिति में सहायक अभियन्ता/सचिव द्वारा मै0 एसोसियेटेड्स सीमेण्ट कम्पनी सहारनपुर [उम्प] से 150 मी0टन सीमेण्ट रू01162.18 प्रति टन तथा 4% विक्रीकर व 10% सरचार्ज की दर से प्राप्तकी गयी थी तथा सहारनपुर से ऋषिकेश तक ट्रक से ढुलाई व्यय रू0 10,185/- भुगतान किया गया था। उक्त 3000 बैग सीमेण्ट का इश्यू रेट निकालकर तद्नुसार सीमेण्ट की आपूर्ति की जानी थी, क्योंकि अतिरिक्त सीमेण्ट की आपूर्ति के लिये प्राधिकरण बाध्य नहीं था। उल्लेखनीय है कि मुख्य लेखाधिकारी विकास प्राधिकरण ने पत्रावली में दिनांक 20-6-88 को अंकित आख्या द्वारा उक्त हानि की ओर संकेत किया था, परन्तु सचिव द्वारा इस हानि को परियोजना मद में डालने का उल्लेख किया गया था, जिसका कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि परियोजना परिव्यय में वृद्धि करना जनसाधारण के हितों के विपरीत तथा ठेकेदार को लाभ पहुँचाने का द्योतक था। सम्परीक्षा द्वारा बाह्य संकलन के

Scanned with CamScanner

298

26

26

क्षति का अनुमान निम्नवत् लगाया गया था जो प्राधिकरण
रेट की गणना किये जाने तक अनन्तिम है।

सहित 3000 बैग का मूल्य	1,81,997
-/- ढुलाई	10,187
गोदाम किराया 5माह {4/88 से 9/88} प्रति रू0 1206=52	7,239=12
	1,99,421=12
{ + } 10% सुपरवीजन चार्जेज	19,942=11
	2,19,363=23

प्रति बैग 2,19363=23 -÷- 3000
= 73•13
अर्थात् 73=15 रू0

3•15 – 65} ×3000 = रू0 24,450/-

मेण्ट अग्रिमों का समायोजन न किया जाना :-

मै0 एसोसियेट्स सीमेण्ट कं0 कानपुर से उनके बिल संख्या
299 ए/5-10-88 द्वारा 163•6 मी0 टन सीमेण्ट 12% बिक्रीकर
रुपये 1,64,535/- में प्राप्त हुआ था। उल्लेखनीय है सहारनपुर
ग एजेन्सी सहारनपुर के माध्यम से यह सीमेण्ट प्राप्त होनी
सके लिये उक्त एजेन्सी ने अपने पत्र दिनांक 30-9-88 द्वारा
की हैण्डलिंग व क्लीरिंग के लिये रू0 15/- प्रति मी0टन
से रू0 2550/- तथा रू0 170/- चुंगी कुल रू0 2720/-
क प्राप्त करते हुये रसीद संख्या 1410 दिनांक4-10-88 दी थी।

अतः प्राधिकरण ने अपने पत्रांक 2836/ अभि -1-क-10/18 दिनांक 3-10-88 द्वारा माल गोदाम इन्चार्ज सहारनपुर को उक्त फर्म को डिलीवरी देने हेतु अधिकृत किये जाने हेतु लिखा था, परन्तु एजेन्सी ने अपने पत्रांक एस0सी0सी0ए/एस0आई0ई0 - 4916/88 दिनांक 5-10-88 द्वारा ट्रकों की हड़ताल के फलस्वरूप क्लीयरिंग सम्बन्धी कार्य को करने में असमर्थता व्यक्त की गयी थी। जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण सहायक अभियन्ता रू0 16,000/= अग्रिम प्राप्त कर कोटेशन आमन्त्रित करते हुये मै0 नेताजी ट्रान्सपोर्ट कं0 सहारनपुर को रू0 91/- प्रति टन ऋषिकेश में तथा रू0 76/- प्रति टन हरिद्वार में सीमेण्ट की दुलाई एवं स्टेकिंग की दरें स्वीकृत की थी, उक्त के अनुसार रू0 15,127=60 का भुगतान किया गया था तथा रू0 872=40 का समायोजन सहायक अभियन्ता द्वारा नहीं किया गया था।

अस्तु सहारनपुर क्लीयरिंग एजेन्सी से रू0 2720/- की वापसी अपेक्षित होगी, जो उन्हें उक्त कार्य हेतु अग्रिम भुगतान की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व सहारनपुर डम्प से 3000 बैग सीमेण्ट उठाकर हरिद्वार, ऋषिकेश दुलाई व स्टेकिंग की दरें क्रमशः §51+6§, §61 + 6§ थी, जो 4/88 से 9/88 तक की दुलाई हेतु भुगतान की गयी थी।

19- भविष्य निर्वाह निधि सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना :-

अवर अभियन्ता अथवा अन्य कर्मचारियों के वेतनादि से की गयी कटौतियों तथा उनकी जमा आदि का सत्यापन अभिलेखों से न कराये जाने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इन अभिलेखों की क्या स्थिति थी। कार्यवाही अपेक्षित है।

निष्कर्षः- उपर्युक्त अनुच्छेदों के अवलोकन से विदित होगा कि

प्राधिकरण के मासिक एवं वार्षिक आय व्यय के आंकड़े पूर्ण न

ा, परिसम्पत्ति, दायित्व का आकलन न करना, ... हेतु शोधन निधि की स्थापना न करना, मानचित्रों की ... नियमों में शिथिलता बरता जाना, अधिग्रहण की गयी ... प्रगति धीमी होना, सम्परीक्षा में भविष्य निर्वाह निधि ... अप्रस्तुत रखना, यात्रा देयकों का अनियमित एवं ... के दुरुपयोग, सीमेण्ट का इश्यू रेट न निकालकर ... अनियमित लाभ पहुँचाया जाना आदि अनेक गम्भीर ... जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण के लेखे में पर्याप्त सुधार की ... थी। आपत्ति पत्रावली में अब 10 पद शेष थे। ... में निर्गत आपत्ति पत्र नहीं लौटाये गये। उन्हें अब ... अधिकारी के कार्यालय को वापस किया जाय।

(एम० पी० सक्सेना)
सहायक निदेशक
स्थानीय निधि लेखा, उ०प्र०,
मेरठ मंडल मेरठ।

- 23-3-91
जीत
रिष्ठ लेखा परीक्षक
धेश कुमार सक्सेना
वरिष्ठ लेखा परीक्षक

वर्ष 1988-89 में हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के आय और व्यय की तालिका :-

क्र0सं0	स्थानीय निकाय का नाम	1.4.88 को प्रारम्भिक अवशेष	राजकीय अनुदानों और उससे संबंधित ब्याज से प्राप्त आय	आवर्तक राजकीय अनुदान	अनावर्तक राजकीय अनुदान	राजकीय ऋण	वर्ष की सम्पूर्ण आय (क+ख+ग+घ)	प्रा0 अवशेष सहित योग (3+4(घ))	वर्ष में हुआ व्यय	31 मार्च 89 को अंतिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(च)	5	6	7	8
	हरिद्वार-	6041355	5092342	-----	------	564400	5656742	11698097	4796162	6901935	
		6041355	5092342	----	----	564400	5656742	11698097	4796162	6901935	

परिशिष्ट "च" सम्परीक्षा टिप्पणी के प्रस्तर सं0   से सन्दर्भित

लेखे का नाम:- हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार वर्ष 1988-89

क्रमांक	वर्ष	आय जिस पर सम्परीक्षा शुल्क लगाया गया है	आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की राशि	बजट में सम्परीक्षा शुल्क हेतु प्राविधानित धनराशि	वर्ष में जमा सम्परीक्षा शुल्क की धनराशि	वर्षान्त बकाया सम्परीक्षा शुल्क की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1-	1988-89	शुद्ध आय रू0 [illegible]6,35,742=20 (समायोजन के बाद प्राप्त 36,10,742=20 शुद्ध आय)	11,360/ वर्ष 1987-88 में विविध समायोजनों व वर्ष 1988-89 में वापसी राशियों के समायोजनोंपरान्त	30,000=00 वर्ष 88-89 में 50,000=00 (89-90 में)	14,390 चालान संख्या 7 दिनांक 26 मार्च 90 एस0बी0आई0 हरिद्वार	32,200=00 (इस आडिट में समायोजन विवरण बनाने के बाद यह धन बकाया दिखाया गया है क्योंकि वर्ष 87-88 व 1988-89 की समायोजन/ट्रान्सफर की धनराशियां घटा दी गयी है।)

(23)

परिशिष्ट 'ब' क्र0 5 " में संदर्भित

वर्ष 1988-89 में विकास प्राधिकरण हरिद्वार, द्वारा प्राप्त अनुदानों तथा ऋणों का विवरण:-

(अंक पूर्ण रुपयों में)

क्रमांक	आय का शीर्षक	वर्ष का वास्तविक	क्रमांक 1 के समक्ष स्तम्भ 3 में प्रदर्शित अनुदानों की संहतस्थिति		मन्तव्य
			कुल आवर्तक अनुदान	कुल अनावर्तक अनुदान	
1	2	3	4		5
	कोई आवर्तक / अनावर्तक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ ।				
2-	ई0 डब्लू0 एस0 क्वार्टरों के निर्माणार्थ	5,64,400	----	5,64,400	
		5,64,400	----	5,64,400	

परिशिष्ट "ग" आख्या के प्र० 2-6 में संदर्भित

वर्ष 1988-89 के अन्तर्गत हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा अप्रयुक्त ऋणों की तालिका :-

क्र०सं०	राजकीय शासनादेश सं० तथा तिथि	प्रयोजन	मौलिक धनराशि	प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रा० अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त ऋण	योग	वर्ष में भुगतान की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सं०3542/37-1-14/ सीडकैपीटल /86 आवास अनुभाग-1, दिनांक 11-8-86	आवासीय भवनों के निर्माणार्थ	25,00,000	23-8-86	2500000	---	2500000	275000	2300000	(1) मूलधन आहरण की 11वीं वर्ष गाँठ पर 5 वार्षिक समान किश्तों में तथा ब्याज प्रत्येक वर्ष 14 1/2 प्रतिशत की दर से देय था। समय से भुगतान करने पर 3 1/2 प्रतिशत छूट का प्राविधान था । (2) ब्याज की द्वितीय किश्त भुगतान की गयी थी ।

(22)

(29)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-सं0 926/28-12(19)/ 86 पर्वतीयविकास अनुभाग 1		आवासों के निर्माणार्थ विकास बादि के प्रयोजनार्थ	1500000	31-3-87	1500000	----	1500000	172500 (ब्याज)	1500000	(1) मूलधन ब्याज सहित बाहरण की ।। दी
3-अनुसचिव उ0प्र0, शासन 68ई 26 क्रू विकास अनु0-4 केयरांक 3275/37-1-88-18/ 10 क्रू प्त0/88 दि0 3-11-88		प्त0 क्वाटरों के निमाणार्थ	564400	25मार्च89	-----	564400	564400	---- 447500	564400	(1) मूलधन ब्याज सहित

वर्षगांठ से 5 समान वार्षिक किश्तों में तथा प्रथम 10 वर्षों में ब्याज 15% की दर से वार्षिक किश्तों में समय से भुगतान होने पर 3 1/2% प्रति की छूट ।

(2) ब्याज की ।। किश्त भुगतान की गयी थी।

बाहरण की तिथि से 1 वर्ष बाद प्रत्येक वर्ष 25 समान किश्तों में देय होगा । ब्याज की दर 15% परन्तु समय से भुगतान करने पर 3 1/2% प्रति छूट का प्राविधान था ।

(2) मूलधन रु0 22,57,6 तथा ब्याज रु0 64,906/- कुल रु0 87,582/-

302

2/7

परिशिष्ट "ब" (आख्या के अनु0 - - - में उद्धृत) (30)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा किये गये विनियोजनों का विवरण:-

अवधि- 1988-89

क्रमांक	विनियोजन पत्र का विवरण	धनराशि	परिपक्व तिथि	कैफियत
1-	डाकघर बचत खाता सं0 2350 58 दिनांक 4/15अप्रैल88 में 1 वर्ष हेतु	3,00,000	15-4-89	
2-	पंजाब एण्ड सिंध बैंक हरिद्वार सावधि जमा पत्र संख्या 416039/15/88-89दिनांक 22-12-88 में 6 माह हेतु	2,00,000	22-6-89	
3-	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया हरिद्वार के सावधि जमा पत्र सं0 902810 दिनांक 28-1-89 में 6 माह हेतु	4,16,160	28-7-89	
4-	सिन्डीकेट बैंक शाखा कनखल के विकास पत्र सं0 804434/305/89 दिनांक 31-1-89 में6 माह हेतु	2,08,080=	31-7-89	
5-	पंजाब नेशनल बैंक विस्तार पटल मायापुर के सावधि जमापत्र सं0 936796 दिनांक 29-2-89 में 6 माह हेतु	2,50,000	29-8-89	
6-	इण्डियन ओवरसीज बैंक कनखल के सावधि जमा पत्र संख्या 84/30/101724/100/89दिनांक 6-2-89में 6माह हेतु	1,00,000	6-8-89	
7-	सिन्डीकेट बैंक शाखा कनखल के सावधि जमा पत्र सं0 [illegible]			

Scanned with CamScanner

क्रमांक	विनियोजन पत्र का विवरण	धनराशि	परिपक्व तिथि	अभ्युक्ति
10	पंजाब नेशनल बैंक मायापुर के सावधि जमा पत्र सं0 ओ0जी0पी0 936587 दिनांक 24-9-88 में 6 माह हेतु	3,00,000	24-3-89	इसका पुनर्विनियोजन 3 अप्रैल 89 को हुआ था।
11	इण्डियन ओवरसीज बैंक कनखल के सावधि जमा पत्र संख्या 84/जे/701533/2/89 दिनांक 22-12-88 में 6 माह हेतु	2,00,000	26-6-89	
12	पंजाब नेशनल बैंक मायापुर, हरिद्वार के सावधि जमा पत्र संख्या 936795 दिनांक 1-3-89 में 6 माह हेतु	10,00,000	1-9-89	
	कुल विनियोजन रू0	36,50,500		

परिशिष्ट "ङ" अनुच्छेद "   " में संदर्भित ॥ 32 ॥

वर्ष 1988-89 में हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा समाहरण करों एवं राजस्व का विवरण:-

॥ अंक पूर्ण रूपयों में ॥

क्रमांक	आय का स्रोत	अप्रैल1,88 को बकाया	चालू वर्ष 1988=89 के लिए माँग	कुल माँग 3+4	वर्ष में किया गया समाहरण	छूट	समाहरण हुआ मार्च, 31,1989 को शेष	समाहरण का कुल माँग प्रतिशत	स्तम्भ 2 में उल्लिखित करदाता	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-अन्य कर (स्पष्ट उल्लेख करें)			कोई माँग समारण पंजी नहीं बनायी गयी थी।							
योग:-										

क्रमांक	आय का स्रोत	कुल प्राप्तियाँ	वापसी	शुद्ध आय	मन्तव्य